

कावली देरी हुई। वकील उमरपदा उपर
बदल चुकी गई। पत्रावली वास्ते मोदम
अपना पत्र 212 R.T. Act दि. 09/05/26 को
देा है।

[Signature]
09/05/2026

कावली देरी हुई। वकील उमरपदा उपरिम।
बदल मोदम के परिपत्र में कावली का
अवरोध किया गया। बदल पर मतन किया
गया। मोदम नरसपुरा तहसील रामपुर के मत रजि. नं०
21 रजि. नं० 0-1770 है, जे. नं० 22 रजि. नं० 0-0885
है एवं जे. नं० 357/32 रजि. नं० 0-0253 है।
मोदम एवं अमरपदा के समुक्त खासगी में दर्ज
रिपोर्ट है। सामान्य रजि. नं० का यह सुधारण
लिखत है कि समुक्त खासगी की भागी के
अपने भाग पर अपने सहकारियों का समान
हक व अधिकार मिले होता है और इसीलए
रिपोर्ट में legal बंधन हुए बिना कोई सहकारियों
ना ही किसी भाग विशेष (special part) का अंतरा
(transfer) कर सकता है और ना ही भाग विशेष
पर कोई पत्रावली मिली कर सकता है। बाइसे
मोदम एवं अमरपदा के द्वारा मोदम की निपटण
किया गया और पत्रावली कि मत रजि. नं० 21
(मोदम रजि. नं० 34, 35, 36) के जमाने के भाग पर 24
मोदम निलार अहमद, लाबिर अ/ मोदम, इमाल अ/ 6
मोदम व अहमद अ/ मोदम ने हकान बना रजि.



तारीख
व्यवस्थापक

हुकूम या कार्यवाही या मस्य इतिशियतस जस

इस मस्य हुकूम नंबर 32 व 35 पर प्राची हुकूम
का कानून जारी है। हाल 2017 34 (प्राची हुकूम नंबर
21 से कम) एवं 33 (प्राची हुकूम नंबर 22 से कम) मस्य
पर कानून जारी है। प्राची हुकूम
को एकमात्र माना जाना प्रतीत नहीं हुआ है।
मस्य कारण है कि मस्य हुकूम नंबर 32 व 35
मस्य पर एकमात्र कानून जारी है मस्य को
हुकूम-हुकूम पर मस्य करने पर मान्यता है मस्य
सम्बन्धित प्राची हुकूम नंबर 32 व 35 का
हमन होगा।

अनुसूचित जाति व जाति पर प्राची
का प्रमाण पत्र जारी Act 1950 39 R/O 2 CPC
लीकाल किया जाता है मस्य हुकूम नंबर को
मस्य हुकूम नंबर 32 व 35 मस्य अन्तर्गत निम्नलिखित
से संबंध किया जाता है कि वे ग्राम नंदपुरा
(रामपुर) की मस्य मस्य के सम्बन्धित
एवं मस्य की मस्य से कोई परिवर्तन नहीं
है। मस्य मस्य मस्य के
साथ चलाने की।



Handwritten signature
19/1/26
उपखण्ड अधिकारी
पिडिया, जिला मन्सूर (राज.)

10/3/26